Facebook E-Paper | Aj Hindi Daily News Paper | ajhindidaily.com

आज

हिन्दी जगत में सर्वाधिक लोकप्रिय

★ नगर संस्करण पृष्ठ १२ मूल्य ₹ ४

आगरा, ११ अगस्त शनिवार २०१८ वर्ष ३२ अंक २२१ सौर २८ श्रावण सं. २०७५ वि.

वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद (रीवा संस्करण), कानपुर (झांसी संस्करण), लखनऊ, आगरा, बरेली, पटना, रांची (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित

राफेल पर सोनिया समेत विपक्ष ने संसद को घेरा

नयी दिल्ली, १० अगस्त। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की कमान में विपक्षी सांसदों ने राफेल लड़ाकू विमान समझौते में कथित घोटाले मुद्दे को लेकर भाजपा नीत राजग सरकार के खिलाफमानसून सत्र के अंतिम दिन प्रदर्शन किया। यूपीए चेयरपर्सन की अगुवाई में संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अम्बिका सोनी, भाकपा के डी. राजा, आप सांसद सुशील गुप्ता एवं अन्य सहित विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और इस मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। जेपीसी द्वारा राफेल समझौता मामले में जांच और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जवाब की मांग करते हुए कांग्रेस सदस्यों ने कल लोकसभा में हंगामा किया था जिसके कारण संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी थी। सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित तीन तलाक विधेयक को आज राज्यसभा में पेश करने की तैयारी के बारे में पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि इस मुद्दे पर हमारी पार्टी की स्थिति बिल्कुल साफ है। मैं इस पर आगे कुछ नहीं कहूंगी। इसके अलावा कांग्रेस ने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया। राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एक बार भी मौका नहीं मिला है और हम चाहते हैं राफेल डील पर चर्चा हो, हमने इसपर नोटिस भी दिया है। आजाद ने कहा कि राफेल विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और इसपर जेपीसी बननी ही चाहिए। बता दें कि संसद में विश्वास मत के दौरान राहुल गांधी ने राफेल डील पर सवाल उठाए थे।

ई- टिकट पर 1 सितंबर से रेलवे नहीं देगी फ्री सुविधा

नयी दिल्ली, १० अगस्त। अगर आप भी अक्सर रिजर्वेशन कराकर ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। आईआरसीटीसी की तरफ से फ्री में दी जा रही सुविधा के लिए अब एक निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। ऐसे में टिकट बुक कराने पर आपको पहले के मुकाबले ज्यादा भुगतान करना होगा। दरअसल आईआरसीटीसी की तरफ से 1 सितंबर से ई- टिकट पर दी जाने वाली मुफ्त ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा नहीं दी जायेगी। अगर कोई यात्री इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसे ई-टिकट कराने के बाद ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए अलग से भुगतान करना होगा। यानी अब यात्री की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वह इंश्योरेंस लेना चाहता है या नहीं। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी की तरफ से दिसंबर 2017 से फ्री इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है।

मेरठ का खंडहर सरकारी स्कूल पुष्पा यादव ने बनाया स्मार्ट

मेरठ, १० अगस्त। जब में आई थी उस समय विद्यालय में चार दिवारी नही थी और खेल का मैदान ऊबड़ खाबड़ था साथ ही गाँव के जानबर भी विद्यालय में ही खड़े रहते थे कक्षा कक्ष के साथ शौचालयों की स्थिती भी बहुत खराब थी बच्चो का ठहराव भी विद्यालय में बहुत कम था फिर मेने एसएमसी के सहयोग से विद्यालय विकास योजना बनाई और उच्य अधिकारियों से विद्यालय के विकास पर सहयोग के लिए चर्चा की और कुछ प्रयासों के बाद विभाग से चारदीबारी के लिये स्वीकृति प्राप्त हुई और उसी के साथ विद्यालय में मुख्य द्वार को भी ठीक कराया समुदाय के सहयोग से शौचालय की मरम्मत कराई गई व विद्यालय में नियमित रचनात्मन कार्यक्रम के आयोजन से जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग से खेल के मैदान के समतलीय करण के साथ टाइल्स और बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर भी प्राप्त हुआ विद्यालय परिवार के सहयोग से विद्यालय में आकर्षक पेंटिग और रंग रोगन कराया गया।

वर्तमान में विद्यालय- आकर्षक खेल का मैदान, प्रभावी प्रार्थना सभा, सुन्दर और आकर्षक कक्षा कक्ष, स्मार्ट क्लास, (शेष पृष्ठ ३ पर)

20 तक बढ़ी लालू की प्रोविजनल बेल

रांची, १० अगस्त। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह कोर्ट में चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की प्रोविजनल बेल को बढ़ाए जाने के मामले में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट पर सीबीआई को जांच कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही लालू यादव की प्रोविजनल बेल 20 अगस्त तक बढ़ा दी। लालू प्रसाद की प्रोविजनल बेल 14 अगस्त को समाप्त हो रही थी। इस मामले में सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

संसद में गूंजा मेरठ में दलित हत्या का मामला

नयी दिल्ली, १० अगस्त। संसद में आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित समुदाय के एक युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या का मामला गूंजा। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि संसद में दलित उत्पीड़न के महज कानून बनते रहते हैं, लेकिन वास्तव में इन कानूनों का पालन होता ही नहीं है। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान रामगोपाल यादव ने मेरठ में भीड़ द्वारा दलित युवक को पीट-पीट कर हत्या का मुद्दा उठाते हुये कहा कि बीते गुरुवार को जब राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधेयक पारित हो रहा था, उस समय मेरठ में एक दलित युवक की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। योगी सरकार पर निशाना साधते हुये रामगोपाल ने कहा कि घटना के वक्त पुलिस सरकारी आदेश का पालन करते हुये कांवड़ियों पर फूल वर्षा करने में मशगूल थी। साथ ही उन्होंने मांग की कि इस बात की जांच हो कि जब भीड़ दलित युवक को पीट रही थी उस समय पुलिस क्या कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी राशन न मिलने से हुयी मौतों पर केंद्र को जारी किया नोटिस

नयी दिल्ली, १० अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने आधार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लिंक न होने के कारण राशन का अनाज नहीं मिलने की वजह से हुयी मौत के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्त्ता से कहा है कि आधार के मामले में उसके संवैधानिक पीठ का फैसला आने के बाद उसकी याचिका पर विचार किया जायेगा। शीर्ष अदालत में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन न मिलने की वजह से ३० लोगों की मौतें हो चुकी हैं।

राज्यसभा में पेश नहीं हो सका तीन तलाक बिल

नयी दिल्ली, १० अगस्त। राफेल विमान सौदे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग कर रहे कांग्रेस सदस्यों के भारी हंगामे और आम सहमति न बन पाने की वजह से तीन तलाक बिल इस मॉनसून सत्र में भी राज्यसभा में नहीं पेश हो सका। उम्मीद है कि अब इसे संसद के शीत सत्र में पेश किया जायेगा। इससे पहले विपक्ष के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को दो बार स्थगित हुई, जिसके चलते यह विधेयक पेश नहीं हो पाया। दरअसल, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सरकार और विपक्ष आमने-सामने रही. सरकारी की कोशिश थी कि किसी भी हाल में (शेष पृष्ठ ३ पर)

21 राज्यों में तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट

नयी दिल्ली, १० अगस्त। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट शुक्रवार को जारी किया। उधर, केरल में बाढ़-बारिश से हालात और बिगड़ गये। 40 साल बाद इडुक्की बांध के सभी गेट खोल दिये गये। सुबह सिर्फ दो गेट खोले गये थे। इससे पेरियार नदी में 125 क्यूसेक (1 लाख 25 हजार लीटर प्रति सेंटीमीटर) पानी बढ़ गया। यहां बीते दो दिनों में (शेष पृष्ठ ३ पर)

राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ हुई तो होंगे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम-केन्द्र

नयी दिल्ली, १० अगस्त। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात दोषियों की रिहाई का विरोध किया है। शीर्ष अदालत में दाखिल की गयी एक रिपोर्ट में केंद्र ने कहा है कि वह तमिलनाडु सरकार के सातों दोषियों की रिहाई सहमत नहीं है, क्योंकि अगर इस मामले के मुजरिमों की सजा को माफ किया गया तो इससे एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत होगी और इसके अंतर्राष्ट्रीय नतीजे होंगे।

जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने गृह मंत्रायल द्वारा दायर की गयी रिपोर्ट के दस्तावेजों को देखने के बाद मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने २३ जनवरी को केंद्र सरकार से कहा था कि तमिलनाडु सरकार के २०१६ के पत्र पर तीन महीने के भीतर फैसला ले। राज्य सरकार राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों की सजा माफ करके उनकी रिहाई के फैसले पर केंद्र की सहमति चाहती है। राज्य सरकार ने इस बारे में २ मार्च २०१६ को केंद्र को एक पत्र भी लिखा था।

गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी उच्चतम न्यायालय में पेश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मामला देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की नृशंस हत्या से जुड़ा है, जिन्हें विदेशी आतंकी संगठन ने सुनियोजित तरीके से मार डाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हत्या इतने नृशंस तरीके से की गयी कि इसकी वजह से देश में लोकसभा व विधानसभा चुनाव भी टालने पड़े।

मंत्रालय ने कहा कि निचली अदालत ने दोषियों को मौत की सजा के बारे में ठोस कारण दिये हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी इस हत्याकांड को देश में हुये अपराधों में सबसे घृणित कृत्य बताया था। चार विदेशियों ने तीन भारतीयों की मिली भगत से २१ मई १९९१ को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक (शेष पृष्ठ ३ पर)

दिल्लीः स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म

नयी दिल्ली, १० अगस्त। देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढते ही जा रहे हैं। ताजा मामले में दिल्ली में छह साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार बच्ची के साथ दुष्कर्म की यह घटना स्कूल परिसर में अंजाम दी गयी। घर में बच्ची को मां-बाप ने असहज देखकर जब पूछताछ की तो सारा राज खुला। दरिंदगी की यह घटना गोल मार्केट के पास एक गर्ल्स स्कूल की है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। (शेष पृष्ठ ३ पर)